न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डा0 मधु खरे
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 1640–दो/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–3–2015 पारित द्वारा आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल प्रकरण कमांक 46/अ–74/2014–15.

इन्द्रपाल पिता मोहनसिंह गोंड
निवासी ग्राम उमरखोही पो0 आमडीह थाना
व तहसील जयसिंहनगर जिला शहडोल म0प्र0
–––––आवेदक

विरूद्ध

रामसुमिरन पिता रामबोधन गोंड
निवासी ग्राम उमरखोही पो0 आमडीह थाना
व तहसील जयसिंहनगर जिला शहडोल म0प्र0
–––––अनावेदक

– – – – – – –

श्री दुर्गा प्रसाद तिवारी, अभिभाषक, आवेदक

– – – – – – –

:: आदेश पारित ::

(दिनांक 03 नवम्बर 2015)

– – – – – –

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के आदेश दिनांक 30–3–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ निगरानी के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप इस प्रकार है कि आवेदक ने अपर कलेक्टर शहडोल के प्रकरण कमांक 109/निगरानी/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 20–6–2007 के विरूद्ध अपील आयुक्त को प्रस्तुत की गई। आयुक्त ने आदेश दिनांक 05–8–10

को अपील समझौते के आधार पर समाप्त की गई। आवेदक ने आयुक्त के समक्ष प्रकरण कमांक 46/अ—74/14—15 प्रस्तुत कर प्रकरण पुर्नस्थापित करने हेतु प्रस्तुत किया जिसे आयुक्त ने आदेश दिनांक 30—3—2015 द्वारा निरस्त किया गया। आयुक्त के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह तर्क किया कि आवेदक के बगैर जानकारी के फर्जी राजीनामा प्रस्तुत किया गया जिसपर आवेदक के फर्जी हस्ताक्षर है। उक्त फर्जी राजीनामे के आधार पर आयुक्त ने दिनांक 5—8—10 को प्रकरण समाप्त करने में त्रुटि की है। यह भी तर्क दिया कि आयुक्त के समक्ष उक्त प्रकरण को पुर्नस्थापित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसे अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाये।

4/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में संलग्न अधीनस्थ न्यायालय के सत्यापित प्रति अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में उपलब्ध आदेश दिनांक 5—8—2010 की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक स्वयं उपस्थित हुये तथा अनावेदक की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुये। उभय पक्ष की ओर से आयुक्त के समक्ष समझौता आवेदन प्रस्तुत कर प्रकरण आगे नहीं चलाने का निवेदन किया जिसपर आयुक्त ने समझौता आवेदन स्वीकार कर प्रकरण समाप्त करने का आदेश दिया। अतः आयुक्त के उक्त आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा आयुक्त के समक्ष उक्त प्रकरण को पुर्नस्थापित किये जाने बावत समयबाधित प्रस्तुत किये जाने के कारण आयुक्त ने प्रकरण के साथ प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम की धारा—5 का आवेदन अमान्य किया जिसके कारण पुर्नस्थापन आवेदन निरस्त

किया गया है। आवेदक ने न आयुक्त न्यायालय में पुर्नस्थापन आवेदन में और न ही इस न्यायालय में प्रस्तुत याचिका में इस बात का कोई समाधानकारक कारण बताया है कि आदेश की जानकारी दिनांक 29—11—10 को प्राप्त हुई तब भी लगभग 4 वर्ष पश्चातआवेदन क्यों प्रस्तुत किया। आयुक्त के समक्ष आवेदक द्वारा विलम्ब का समुचित कारण नहीं दर्शाने के कारण ही प्रकरण को अवधि बाह्य माना है। आयुक्त द्वारा विधिवत अभिलेख का अवलोकन करने के उपरांत ही आदेश पारित किया गया है जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार प्रकट नहीं होता है। अतः निगरानी निरस्त की जाती है।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वलियर